

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/08/31/2022/ एफ.सी./07 दिनांक 01.04.2022।

- (7) As per para 3.5 (Chapter 3) of Comprehensive Guidelines, there is a exemption from payment of NPV in case of laying of under ground drinking water pipeline up to 4" diameter subject to following particulars: Full exemption up to 1 ha. of forest land provided: (a) no felling of trees is involved; (b) alternate forest land is not available; (c) the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non Plan Scheme of Government; and (d) area is out side any National Park or Wild Life Sanctuary. DFO needs to certify all the above requirements.

प्रमाण पत्र

जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज द्वारा गुनई गहरपुर मेजा प्रयागराज से जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज कैम्पस तक पेय जल पाइप लाईन बिछाने का कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है जिससे एन0पी0वी0 के भुगतान से छूट प्राप्त हो सकती है।

उक्त प्रकरण में 4" व्यास की पेयजल पाइप लाइन बिछायी जायेगी तथा पाइप लाइन बिछाने में कुल 0.0311 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी।

- (अ) उक्त पाइप लाइन बिछाने में किसी वृक्ष का पातन नहीं होगा।
- (ब) प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।
- (स) उक्त पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव व्यवसायिक प्रकृति का नहीं है। तथा विद्यालय पर नियंत्रण भारत सरकार के अधीन है।
- (द) प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव विहार के क्षेत्र के बाहर है।

4/5
प्रभागीय निदेशक
राष्ट्रीय वन्य जीव प्रभाग
लखनऊ


प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
मेजा खास प्रयागराज
Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Meja Khas, Prayagraj U.P.